अनुदान संख्या 17 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 17 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-			
मूल	Original	734,19,00	573,06,40	-161,12,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			161,07,57
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-			
मूल	Original	42,00,00	37,72,78	-4,27,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,26,97

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	28438.00	20722.77	20718.21	-4.56
पु.	R.	-7715.23			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	44981.00	36588.66	36588.19	-0.47
पु.	R.	-8392.34			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किया गया ₹2.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कारपोरेट कार्य मंत्रालय" – ₹7719.79 लाख की बचत (₹26438.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एम. सी. ए. 21 परियोजना की संविदागत बाध्यतायें पूरी नहीं हो पाने, सी. एस. आर. पुरस्कार आयोजित नहीं किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "संयुक्त स्टाक होल्डिग कंपनियों का विनियमन"

(क) "कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों का रजिस्ट्रार" – ₹879.12 लाख की बचत (₹7763.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम संख्या में दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "कंपनी अधिनियम के तहत आधिकारिक परिसमापक" – ₹607.50 लाख की बचत (₹2884.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, स्थानीय करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम संख्या में दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "क्षेत्रीय निदेशक (आर. डी.)" – ₹538.85 लाख की बचत (₹3960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होने, स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान

(I) Provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilized under one heads.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Corporate Affairs" - saving of ₹7719.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26438.00 lakhs) was due to non-fulfillment of contractual obligations of MCA 21 Project, non-holding of CSR awards and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Joint Stock Companies" -

(a) "Registrar of Companies under Companies Act" - saving of ₹879.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7763.25 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards medical reimbursement, leave travel concession and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Official Liquidators under Companies Act" - saving of ₹607.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2884.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, requirement of less funds towards local taxes, receipt of less claims towards medical reimbursement and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Regional Directors (RDs)" - saving of ₹538.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3960.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, requirement of less funds towards establishment related expenses and

में कटौती किए जाने के कारण हुई।

reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एन. एफ़. आर. ए.)" – ₹796.18 लाख की बचत (₹4320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, वेतन संशोधन के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(d) "National Financial Reporting Authority (NFRA)" - saving of ₹796.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4320.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposal for revision of pay and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ङ) "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई. बी. बी. आई.)" – ₹2285.00 लाख की बचत (₹4185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंतरिक संसाधानों से व्यय को पूरा किए जाने के कारण आई. बी. बी. आई. को कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(e) "Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)" - saving of ₹2285.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4185.00 lakhs) was due to requirement of less funds by IBBI owing to expenditure being met by internal resources and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "अन्य व्यय" –

(B) "Other Expenditure" -

(क) "गम्भीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एस. एफ़. आई. ओ.)" – ₹1373.16 लाख की बचत (₹5792.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में विज्ञापन कार्यकलाप किए जाने, परामर्शदाताओं द्वारा देर से कार्यभार ग्रहण किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Serious Fraud Investigation Office (SFIO)" - saving of ₹1373.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5792.00 lakhs) was due to less advertisement activities, delay in joining of consultants and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन. सी. एल. टी.)" – ₹697.89 लाख की बचत (₹9568.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकलापों को अगले वित्तीय वर्ष तक के लिए स्थगित किए जाने, कम संख्या में छुट्टी यात्रा रियायत के दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "National Company Law Tribunal (NCLT)" - saving of ₹697.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9568.00 lakhs) was due to postponement of activities to next financial year, receipt of less claims towards leave travel concession and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) "राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.)" – ₹936.41 लाख की बचत (₹4875.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों

(c) "National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT)" - saving of ₹936.41 lakhs (against the sanctioned provision of

को नहीं भरे जाने, कम संख्या में दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

₹4875.75 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:–

2. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services			
मू.	O. 4200.00			
पु.	R. -426.97	3773.03	3772.78	-0.25

(I) "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय" के अंतर्गत – ₹852.39 लाख की बचत (₹2883.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की खरीद और कारपोरेट डाटा प्रबंधन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Secretariat" - savings of ₹852.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2883.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of vehicles and Corporate Data Management.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹425.17 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत है।

(II) Under one head excess of ₹425.17 lakhs occurred constituting 32 percent of the sanctioned provision.

2. ***निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि –***

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को दावा नहीं किए गए लाभांश, परिपक्व हुए जमाओं, परिपक्व हुए डिबेंचरों, वापस की जाने वाली आवेदन राशि और उस पर ब्याज के संबंध में राशि वापस करने, निवेशक शिक्षा, जागरुकता संवर्धन और संरक्षण, शेयर या डिबेंचरों के लिए पात्र और पहचाने जाने योग्य आवेदकों, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों या ऐसे जमाकर्ताओं, जिन्हें किन्ही व्यक्तियों के गलत कृत्यों के कारण हानि हुई, में उस न्यायालय द्वारा जारी किए गई आदेश के

2. ***Investor's Education and Protection Fund -***

The Investor's Education and Protection Fund was opened to refund in respect of unclaimed dividends, matured deposits, matured debentures, the application money due for refund and interest thereon, for promotion of investor's education, awareness and protection, distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture-holders or

अनुसार जिसने उच्छृंखल के संबंध में आदेश जारी किया है, को उच्छृंखल राशि के वितरण के लिए खोला गया था।

depositors who have suffered losses due to wrong actions by any persons, in accordance with the orders made by the Court which had ordered disgorgement.

इस निधि में वर्ष 2023–24 के लिए लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the fund for 2023-24 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

प्रारंभिक शेष	Opening Balance	:	86,57,22
प्राप्तियां	Receipts	:	20,00,00
भुगतान	Payments	:	20,00,00
अंतिम शेष	Closing Balance	:	86,57,22